

यालय उप जिला कलक्टर टोडाभीम जिला करौली

:-80/2018


तारीखरजु:-29.06.2018

निर्णय दिनांक:-

उनवान:- हरीश चन्द बनाम रामसिंह वर्ग0

दावा वावत इस्तरारहक एवं स्थाई निषेधाज्ञा

अन्तर्गत धारा 88,188 राज0 टे0 एक्ट

क्र	फर्द अहकाम	
2018	<p>वादी की ओर से श्री रामभरोसी शर्मा एडवोकेट ने दावा वावत स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 88,188 राज0 टे0 एक्ट के तहत प्रस्तुत किया गया। अवलोकन किया गया। दावा पत्र दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगणों को जरिये सम्मन तलब कर पत्रावली दिनांक 23.07.2018 को को पेश हो।</p> <p style="text-align: center;">  उपजिला कलक्टर टोडाभीम (करौली) </p> <p><u>23.7.18</u> वादी वकील उप0 अपर्यायण कपूर सूचना उप0 नही दी। पी.0.सा. का पद रिक्त है। आदेश दि0 20-8-18 को पेश हो।</p> <p>वकुलाय उपस्थित/पीठमन अधिकारी है। अतः पत्रावली गतानुसं दिनांक को पेश हो।</p> <p>208/18 वादी वकील उप0 प्रतिवादीजं. 1 की ओर से श्री मनोज कुमार शर्मा Adv. ने वकालतनामा पेश किया। पीठहीन अधिकारी अवकाश पर है दि0 17.9.18 को पेश हो।</p> <p><u>17.9.18</u> वकुलाय उपस्थित। जबाब पेश कने समय दिया गया। जबाब पेश कने दिनांक 25.10.18 को पेश हो।</p>	<p>2438-41 29/6/18</p>

दिनांक

फर्द अदालत

25-10-18

Not Press
Law

वकूलाय उपस्थित। कादी वकूलाय ने कहा
 किया कि पक्षकारान मुकदमे को छोड़ने
 चलाता नहीं चाहते हैं। मुकदमा Not
 Press किया। अतः कादी वकूलाय द्वारा
 मुकदमा Not Press किए जाने से
 खारिज किया जाता है। कलकरी
 फौजदारी नुमां लिफा नुमां से कम
 लोक (दाखिल) दफ्तर है।

उप जिला कलक्टर
 टांडाभीम (झेली)